



15/2016

2016/00180

लीला / शाहपूर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

( राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत लसीना )  
पीठासीन अधिकारी - विनोद कुमार मीना आर० ए० एस०

अपील संख्या- 15/2016

बमुक : लीला बनाम ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द व अन्य




अपील विरुद्ध नामा० संख्या 2334 वाके  
ग्राम मालौनीखुर्द आदेश तारीखी 21.12.2015  
ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द

7.6.2018 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र मालौनीखुर्द पर पेश हुई । रेस्पो० संख्या 1 व 2 उपस्थित । रेस्पो० संख्या 2 ने लिखित राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट लीला मेरी सगी बहन है । अगर गलत नामान्तरण हुआ है तो मेरे पिता की विरासत अनुसार सही नामा० खुलवाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । रेस्पो० दीपा की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द से कराई गई ।

हमने प्रस्तुत अपील तथा रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलांट का मूल विवाद रेस्पो० संख्या 2 से ही है, उन्होने अपीलांट के कथनों को स्वीकार कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है । उपरोक्त विवेचन अनुसार लोक अदालत की भावना से अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है । अपीलाधीन आदेश नामा० संख्या 2334 वाके ग्राम मालौनीखुर्द आदेश तारीखी 21.12.2015 ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक भीमा जाति कुषवाह निवासी मालौनीखुर्द के जायज वारिस व कायम मुकाम की जांच कर नियमानुसार पुनः नामा० की कार्यवाही की जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 7.6.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ